

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जन

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तन्वी हेतु रजिस्टर्ड सम्पत्त जारी डिपेंडेंस को अप्रार्थिग
से 4.5.67 वावपूर रजिस्टर्ड सम्पत्त इत-थायानय
में उपस्थित नहीं। ना ही उन्नी अरे से कोई विधि
प्रतिनिधि उप आया। अतः अप्रार्थिग सं. 4.5.67
के विरुद्ध एडप्टीव कार्यवाही अमल में लाई जाती है
शेष अप्रार्थिग सं. 1, 2, 3 द्वारा जगब पेश नहीं किया
गया। अतः अप्रार्थिग सं. 1, 2, 3 का जगब बंद किया
जाता है उन्नीपक्ष वकील द्वारा प्राप्य अस्थायी निषेधाज्ञा
पर बहस की गयी। वकील उन्नीपक्ष बहस पर मनन किया
प्राप्य व पत्रावली में संलग्न कृतोपिजात का अवलोकन किया
शुन दवा तकरमा अस्थायी निषेधाज्ञा का है। बाद की
पत्रावली बालाचिह्न नाम अरल विहारी के साथ कुन्नीपक्ष
की जा चुकी है। जिसकी पुनरावी के दौरान बादशुला श्रुति
में मसादमत पैदा करने के अलावा कुन्नीपक्ष प्रकरण में
अप्रार्थिग अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित किया जाना उचित
प्रतीत होता है।
अतः वकील उन्नीपक्ष बहस पर मनन करने व
पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण के श्रुति
मौरारी नंबर नंबर 3 तह-बोदी कुन्नीपक्ष जिला डोहा में खाता
सेखा मय 27 पुराना 27 के ख.नं. 100, 101, 114, 65,
66, 96, कुल रकबा 6 कुल रकबा 0.8400 हेक्टे (खं खाता
सं-नवा 26 पुराना 26 के ख.नं. 103, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 211/93, 67, 68, 97, कुल खाता
13 कुल रकबा 1.12 हेक्टे में न्यायालय राजा के प्रकरण सं.
19/24 बालाचिह्न नाम अरल विहारी के प्रकरण सं.
उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थिग की मौज
वरिजेंड की सहाय्यि किये रखने हेतु प्रतिनिधि कि
जाता है पत्रावली प्रकरण बालाचिह्न नाम अरल विहारी के
साथ हमजिता रही प्रकरण कुन्नीपक्ष नंबर से कम है।
11.11.25
ए. ए. ए.
ए. ए. ए. अधिकारी
बादीकुई (दोसा)